



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.10.2024

प्रेस नोट

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 मोटरसाइकिल व 02 अवैध हथियार मय कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 06.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा करनाल हाईवे से बैदखेडी मंसूरा रोड ग्राम बरनावी कट से 02 वाहन चोरों को चोरी की 07 मोटर साइकिल व अवैध 02 तमंचे मय 03 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बरामदशुदा मोटर साइकिलों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.आमिल उर्फ आलिम पुत्र जमशेद निवासी मौहल्ला अफगानान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2.सनव्वर पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला चन्दनपुरी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)।

2.मोटर साइकिल यामा एफजेड 25 रजि0 न0 PB10DG 1274।

3.मोटर साइकिल सुपर स्पेलेण्डर रजि0न0 HR05A8287।

4.मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस रजि0न0 UP11AJ5912।

5.मोटर साइकिल प्लेटिना रजि0न0 HR05AZ7132।

6.मोटर साइकिल प्लेटिना रजि0न0 HR60A9014।

7.मोटर साइकिल यामा एफ जेड-25 रजि0न0 ODO7U7831।

8-अवैध 02 तमंचे मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर (उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण से बरामद)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आमिल उर्फ आलिम उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 418/24 धारा 317(2)/317(5)/345(3)/ बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 88/ 2016 धारा 25 आ0एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 391/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 748/2015 धारा 411/412 भादवि कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 258/2005 धारा 364/396/412 भादवि कैराना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 142/2012 धारा 382/411 थाना कैराना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 143/2012 धारा 380/457/411 भादवि कैराना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 144/2012 धारा 398/401 भादवि कैराना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 324/2015 धारा 395/412 भादवि थाना काँधला जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 245/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जनपद सहारनपुर।

11.मु0अ0सं0 246/21 धारा 8/21 एनडीपीएक्ट जनपद सहारनपुर।

12.मु0अ0सं0 318/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सनव्वर उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 418/24 धारा 317(2)/317(5)/345(3)/ बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

2.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

3.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

4.हे0का0 अमित कुमार थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

5.का0 सुमित कुमार थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

6.का0 शान्तनु यादव थाना झिँझाना जनपद शामिल ।

नोट:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामिल द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI



थाना थानाभवन पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र की त्वरित कार्यवाही कर साइबर ठग द्वारा ठगी की गयी 30000/- रुपये की धनराशि शतप्रतिशत वापस कराई गई:-

दिनांक 14.05.2024 को साइबर क्राइम पोर्टल पर आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र सुक्खन सिंह निवासी ग्राम जानीपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के बैंक खाते से 30000/- रुपये की धनराशि बैंक खाते से डेबिट होने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन साइबर सेवा केन्द्र पर शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन एवं साइबर थाना शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त शत प्रतिशत धनराशि वापस कराई गई । श्री सुनील कुमार निवासी उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन एवं साइबर थाना शामली का आभार व्यक्त किया है ।

थाना थानाभवन व साइबर टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 2.निरी0 श्री जितेन्द्र शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 2.कम्प्यूटर आपरेटर अमरजीत सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
- 3.कम्प्यूटर आपरेटर सोनम राठी थाना थानाभवन जनपद शामली



प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार की महत्वकांक्षी योजना "मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमैन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर किया गया जागरूक-

माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार की महत्वकांक्षी योजना "मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.10.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद शामली में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बा,चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शासन व पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वावलंबन हेतु चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना। तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर उमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाइन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाइन 1930 आदि के बारे में पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI